न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 135/2017

महावीर पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी ढ़ाणी 2 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 17.11.2017

उपस्थित—

श्री काशीराम रणवा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 19.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो. ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53, 188 का पेश कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की चक 2 डी. छोटी के मुरब्बा नं. 14 के कि.नं. 4 से 7, 15 की कुल 0.9750है0 भूमि है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.421है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्तमान में अपने—अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। भूमि संयुक्त रूप से है। अतः उक्त भूमि में से वादी का 0.554है0 एवं प्रतिवादी सं. 1 का 0.421है0 का अच्छी व माड़ी की डिकी जारी की जावे। अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2012 को प्राथमिक डिकी जारी करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाने के आदेश दिये। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त

19/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

होने पर दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 17.11.2017 को अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कि.नं. 5 व 6 पर अपीलांट की फसल काश्त है। इस पर अपीलांट ने आपत्ति पेश की थी। जिसका निर्णय अधी. न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। रेस्पों. कि.नं. 4, 7 व 15 पर काबिज हैं और भूमि पर पेड़ लगा रखे हैं, फसल काश्त नहीं करता, कि.नं. 6 में अपीलांट की ढाणी बनी हुई है। अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा विभाजन सही किया है। विभाजन के प्रस्ताव आने पर दोनों पक्षों को सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से ज्यादा भूमि नहीं दी है। अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 17.11.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें वादी/रेस्पों. का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 88 का दावा डिक्री किया जो रेस्पों. के बंटवारा प्रस्ताव पर की गई आपत्तियों का निस्तारण किये बिना दावा निर्णित किया है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पों. द्वारा अधी. न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राज.काश्त.अधि. के तहत पेश किया जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की चक 2 डी. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 14 के कि.नं. 4 में 0.253है0, कि. नं. 5 में 0.228है0, कि.नं. 6 में 0.228है0, कि.नं. 7/1 में 0.202है0, कि.नं. 15/2 में 0.640है0 कुल 0.975है0 नहरी मय खाला संयुक्त रूप से वादी के नाम 0.554है0

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.421है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और वर्तमान में अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज है। विवादित आराजी में अपीलांट महावीर 0.421है0 तथा रेस्पों. हनुमान 0.554है0 के सहखातेदार हैं। इसी अनुसार अधी. न्यायालय द्वारा दावा डिक्री किया है जिसका कियात्मक हिस्सा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर निम्न प्रकार से वाद डिक्री किया जाता है:–

1. वादी हनुमान पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी साधुवाली:– चक 2डी छोटी के मु. नं. 14 के कि.नं. 4(0.253है0), 5(0.228है0), 6/1(0.032है0), 7/1(0.041है0) कुल रकबा 0.554है0 नहरी मय खाला।
2. प्रतिवादी महावीर पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी साधुवाली:– चक 2डी छोटी मु.नं. 14 के कि.नं. 6/2(0.196है0), 7/2(0.161है0), 15/2(0.064है0) कुल रकबा 0.421है0 नहरी भूमि।

अपील मीमों की आपत्तियों का अवलोकन किया जो मुख्य रूप से तहसीलदार द्वारा पूर्व के बंटवारा प्रस्ताव की पुनरावृति की है तथा बंटवारा प्रस्ताव की आपत्तियों का निस्तारण किये बगैर निर्णय पारित किया है बाबत सन्दर्भ विधि राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 53 एवं इसकी कियान्विति हेतु बने राज.काश्त.(राजस्व मण्डल नियम) 1955 के नियम 20 व 21 प्रासंगिक है जिसकी Bare reading है कि नियम 20– नियम 19 में उपबंधित को छोडकर, एक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सहअभिधारी द्वारा लाए गए वाद में, जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वह बांटी गई है वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जावेगा:–

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से (शेयर) से आनुपातिक होगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथा सम्भव एक साथ (compact) होगा।

(ग) जहां तक सम्भव हो किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उतम कोटि की भूमि नहीं दी जाएगी।

19/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(घ) जहां तक सम्भव है विद्यमान खेतों के टुकडे नहीं किये जाएगें।

(ड.) भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथा सम्भव, उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जाएगा, यदि वह उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।

नियम 21–नक्शा बनाना और उप विभाजित खेतों का अंकन (चिन्हित करना):– तहसीलदार नक्शा बनाएगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग–अलग रंगों में दिखाया जावेगा। और यदि किसी खेत को उप विभाजित किया गया है तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार गंगानगर की रिपोर्ट कमांक भू.अ./विभा./प्र/2017/6673 दिनांक 29.08.2017 के संलग्नक मौका फर्द व नजरी नक्शा अपीलांट व रेस्पों. की भूमि का प्रस्ताव अलग–अलग रंगों में बंटवारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ति करते हैं। अतः पत्रावली के अवलोकन उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि :–

1. तहसीलदार गंगानगर द्वारा पेश किये गये दोनों ही बंटवारा प्रस्ताव संदर्भ नियम 20 के प्रावधान अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी की अवधारणा अनुसार तैयार होकर अपील मीमों की यह आपत्ति खारिज योग्य है।
2. बंटवारा प्रस्ताव की आपत्ति का निस्तारण निर्णय में समाहित होना प्रतीत होता है। अतः यह आपत्ति भी खारिज योग्य है।

अतः बिन्दु सं. 1 व 2 के विवेचन अनुसार अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर